रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2014/फाल्गुन 29, 1935
No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2014/PHALGUNA 29, 1935

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2014

सा.का.नि. 197(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10ङ की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1993 के नियम 8 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु केंद्रीय सरकार, यदि वह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा में अधिकतम एक वर्ष की अवधि या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के गठन तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विस्तार दे सकेगी ।"।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-ए.डी. 4]

अमरदीप एस. भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 388(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 3 जून, 1994, सा.का.नि. सं. 253 (अ), तारीख 28 मई, 1996, सा.का.नि. सं. 532(अ), तारीख 20 नवंबर, 1996, सा.का.नि. सं. 49(अ), तारीख 31 जनवरी, 1997, सा.का.नि. सं. 370(अ), तारीख 30 जून, 1998, सा.का.नि. सं. 203(अ), तारीख 12 मार्च, 1999, सा.का.नि. सं. 680(अ), तारीख 30 सितंबर, 1999, सा.का.नि. सं. 683(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. सं. 588(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007 और सा.का.नि. सं. 502(अ), तारीख 29 जून, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2014

G.S.R. 197(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 10E read with clause (a) of sub-section (1) of Section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, namely:—

1. (1) These rules may be called the Company Law Board (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board (Qualifications, Experience and Other Conditions of Service of Members) Rules, 1993, in rule 8, the following proviso shall be inserted, namely:---

"Provided that the Central Government may, if it considers it necessary in public interest so to do, give extension in service to the Chairman, Vice Chairman and Members upto a maximum period of one year or till constitution of the National Company Law Tribunal, whichever is earlier".

[F. No. A-12018/1/2011-Ad.IV]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, *vide* G.S.R. 388(E), dated the April, 28, 1993 and subsequently amended *vide* G.S.R. 503(E), dated the June 3, 1994, G.S.R. 253(E), dated the May 28, 1996, G.S.R. 532(E), dated the November 20, 1996, G.S.R. 49(E), dated the January 31, 1997, G.S.R. 370(E), dated the June 30, 1998, G.S.R. 203(E), dated the March 12, 1999, G.S.R. 680(E), dated the September 30, 1999, G.S.R. 683(E), dated the October 5, 1999, G.S.R. 588 (E), dated the September 13, 2007 and G.S.R. 502(E), dated the June 29, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.